न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजि0नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/07/23	2023/4	01-02-2023	09-01-2025

1. धर्मवीर पुत्र गोपाल जाति यादव निवासी यादव नगर अलवर राज0।

—अपीलाण्ट

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार रामगढ़, जिला अलवर (राज0)

——रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध तहसीलदार रामगढ़
निर्णय दिनांक 30.12.2022

उपस्थितः—

01—श्री मोहन सिंह नरूका —वकील अपी0
02—राजकीय अभिभाषक —वकील रेस्पो0

—:निर्णयः—

अपीलान्ट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, रामगढ़ के आदेश दिनांक 30.12.2022 जिसके द्वारा अपी0 को आ0ख0नं0 1900 रकबा 0.25 है0 वाके ग्राम यादव नगर तहसील रामगढ पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण किए जाने के फलस्वरूप 3 माह के सिविल कारावास से दण्डित किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि तहत अदालत ने मिन अपीलान्ट के जवाब पर कतई गौर नही किया मिन अपीलान्ट का कब्जा आराजी मुतनाजा पर ना तो पहले था ना अब है। तहत अदालत ने अपने निर्णय में यह गलत तरीक पर अंकित किया है कि मिन अपीलान्ट द्वारा आराजी मुतनाजा पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया गया हैं गलत है स्वीकार नही है। मिन अपीलान्ट ने आराजी मुतनाजा पर किसी प्रकार का कोई कब्जा नही किया है जब कब्जा ही नही किया है तो आराजी मुतनाजा पर मिन अपीलान्ट द्वारा जौ व कासनी की पैदावार काश्त करने व पशुबाडा बनाने का सवाल ही पैदा नही होता है मिन अपीलान्ट का आराजी मुतनाजा पर किसी प्रकार का कब्जा नहीं है। आराजी मुतनाजा खसरा नंबर 1900 रकबा 0.25 हैक्टेयर वाके ग्राम यादव नगर तहसील रामगढ सरकारी मन्दिर माफी की आराजी नही हैं। मिन अपीलान्ट को हल्का पटवारी से जिरह का करने का कतई मौका नही दिया तहत अदालत ने उक्त इकतरफा दिमाग बनाकर आदेश पारित किया है। पटवारी हल्का ने आराजी खसरा नंबर 1900 रकबा 0.25 हैक्टेयर वाके ग्राम यादव नगर तहसील रामगढ की पैमाईश मिन अपीलान्ट के सामने या अन्य मौजिज लोगो के सामने नही की उक्त कुल कार्यवाही पटवारी हल्का ने साजिश तौर पर मिन अपीलान्ट से दिलीरंजिश रखने वाले लोगो से मिलकर गलत तरीक पर रिपोर्ट तैयार की है। मौका काबिल मुलायजा है। तहत अदालत ने गलत तरीक पर मिन अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर सजाए जेल जुर्माना देने में भारी भूल की है। मिन अपीलान्ट कानून में आस्था रखने वाला व्यक्ति है। मिन अपीलान्ट ने पूर्व में भी आराजी मुतनाजा पर मिन अपीलान्ट ने गत वर्ष भी कब्जा नही किया पटवारी हल्का ने गलत तरीक पर रिपोर्ट की है। मिन अपीलान्ट को पटवारी हल्का से जिरह करने का कोई मौका नही दिया ना ही मिन अपीलान्ट को दस्तावेजात पेश करने का व गवाहान पेश करने का कतई मौका नही दिया। तहत अदालत ने कानून को बलाताक पर रखकर व इकतरफा दिमाग बनाकर मिन अपीलान्ट को सजाए जेल व जुर्माना करने में भारी भूल की है। पटवारी हल्का ने रिपोर्ट गलत तरीके पर राजनीतिक पार्टीबाजी के कारण मौके के खिलाफ की है व तहत अदालत ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर विश्वास करके

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

मिन अपीलाण्ट के नाम जेर दफा 91 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत मिन अपीलाण्ट को नोटिस दिया। जो आदेश काबिल मंसुखी है। तहत अदालत मातहत न्यायिक विधि व तथ्यों व पत्रावली के सर्वथा विपरीत आदेश पारित किया है। अदालत मातहत ने अपनी आज्ञा पारित करने से पूर्व मिन अपीलाण्ट को पटवारी हलका से जिरह करने का मौका कतई नहीं दिया जो दिया जाना अति आवश्यक है व ना मौके पर जाकर आराजी मुतनाजा की पैमाईश की। मिन अपीलाण्ट ने आराजी मुतनाजा पर ना तो पहले कब्जा किया व ना पुनः कब्जा किया। तहत अदालत ने मौके पर जाकर आराजी मुतनाजा की पैमाईश नहीं की व ना कब्जा देखा बल्कि इकतरफा दिमाग बनाकर आदेश पारित किया है। मिन अपीलाण्ट ने विवादित आराजी पर कभी कोई पश्चातवर्ती अतिक्रमण नहीं किया है ना ही मिन अपीलाण्ट अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। मौके पर मिन अपीलाण्ट द्वारा आराजी मुतनाजा पर पुनः कब्जा करने का कोई सबूत नहीं था लेकिन फिर भी तहत अदालत ने मिन अपीलाण्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर सजाए जेल व जुर्माना देने में भूल की है। मिन अपीलाण्ट ने आराजी मुतनाजा पर ना तो पहले अतिक्रमण किया व ना पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया। पटवारी हलका मिन अपीलाण्ट से दिली रंजिश रखता है। इस कारण पटवारी हलका ने गलत तरीके पर रिपोर्ट की है व गलत तरीके पर बयान दिये है। आराजी मुतनाजा पर मिन अपीलाण्ट का कब्जा ना कभी था व ना है पश्चातवर्ती कब्जा आराजी मुतनाजा पर करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलाण्ट मंजूर फरमायी जाकर तहत अदालत की आज्ञा दिनांक 30.12.2022 मंसुख फरमाया जावे व सजाए जेल व जुर्माने (पैनल्टी) का हुक्म स्थगित फरमाया जावे।

रेस्पो0 की ओर से विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील वर्णित तथ्यों को नकारते हुए निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत एवं नियमानुसार निर्णय किया गया है। अतः निवेदन किया कि अपील अपी0 खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों एवं पटवारी हल्का खिलौरा की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। रिपोर्ट पटवारी व रिकॉर्ड के अनुसार आराजी खसरा नंबर 1900 रकबा 0.25 है0 किस्म चाही–2 वाके ग्राम यादव नगर तह0 रामगढ में दर्ज रिकॉर्ड है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का खिलौरा अपीलाण्ट द्वारा आराजी खसरा नंबर 1900 रकबा 0.25 हैक्टेयर किस्म गैर चाही–2 में से 0.06 पर जौ, 0.05 है0 पर पशुबाडा एवं 0.04 काश्नी (चारा) अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा किया गया है। मुताबिक हल्का पटवारी बयान अपीलाण्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है तथा अपी0 ने राजकीय चारागाह भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया है। अपी0 द्वारा उक्त आराजी पर किया गया अनाधिकृत कब्जा पश्चातवर्ती अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। अतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ़ का आदेश दिनांक 30.12.2022 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 09.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)